कार्यालय मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।
पत्रांक–2811/ 11–सी– FP/UP/Others/15651/2015,लखनऊ: दिनांक: जून 30 2016

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
सा0वा0 प्रभाग,
सिद्धार्थनगर।

विषय:– जनपद–सिद्धार्थनगर में इटवा–ढेबरूआ (बस्ती–डुमरियागंज–बढ़नी) मार्ग के दांयी पटरी पर (एस.एच. 76) किमी. स्टोन नं0 31 ग्राम भेलोहा के गाटा संख्या–401 क, 401 ख एवं 402 पर आई.ओ.सी.एल. के पेट्रोल पम्प स्थापित किये जाने हेतु क्षेत्रफल 0.075028 है0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं 10 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:– वन संरक्षक, बस्ती के कार्यालय का पत्रांक–3965 / 33–1 दिनांक–21.06.2016

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त विषयगत प्रस्ताव का परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव की हार्ड कॉपी एवं ऑन–लाइन प्रस्ताव में निम्नलिखित कमियों / अभिलेखों का अभाव पाया गया:–

1. प्रस्तावित वनभूमि के 1:50000 माप के रंगीन मानचित्र पर प्रयोक्ता अभिकरण के अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है तथा मानचित्र पर शीर्षक व लिजेण्ड अंकित नहीं किया गया है।
2. प्रस्तावित वनभूमि हस्तांतरण से सम्बन्धित लैण्ड शड्यूल पर प्रभागीय निदेशक के हस्ताक्षर नहीं है।
3. प्रस्तावित वनभूमि के Geo Refferenced Digital Map एवं क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल के Geo Refferenced Digital Map के के0एम0एल0 फाइल शेप की एक अतिरिक्त सी0डी0 संलग्न करें।
4. 08 वर्षो के अनुरक्षण सहित क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन संलग्न किया गया है, जो मान्य नहीं है। 100 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित विस्तृत प्राक्कलन, जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर हो, संलग्न करें।
5. क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का प्रभागीय निदेशक द्वारा सत्यापित व चिन्हित 1:50000 माप का रंगीन मानचित्र संलग्न करें तथा ऑन–लाइन भी अपलोड करें।
6. Eco Class-3 के अनुसार एन0पी0वी0 की गणना, जो प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, संलग्न करें।
7. वन अधिकार अधिनियम–2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु उस पर जिलाधिकारी की मोहर एवं पत्रांक अंकित नहीं है तथा ऑन–लाइन भी अपलोड करें।
8. मक डिस्पोजल प्लान पर प्रभागीय निदेशक के हस्ताक्षर नहीं है।
9. ऑन–लाइन प्रस्ताव के भाग–1 में क्रमांक ए–1 (ix) में दर्ज है कि गैर वन भूमि "शून्य" की आवश्यकता है जो सत्य नहीं हो सकता। प्रभावित होने वाली गैर वनभूमि का विवरण अंकित करें।
10. पृष्ठ संख्या–14 पर प्रभागीय निदेशक के हस्ताक्षर नहीं है।
11. प्रस्ताव की हार्डकापी व ऑन–लाइन में हरियाली घनत्व अलग–अलग अंकित किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है।
12. ऑन लाइन प्रस्ताव के भाग–2(5) में कोई डाटा फीड नहीं है।
13. ऑन लाइन प्रस्ताव के भाग–2(12) में कोई डाटा फीड नहीं है।
14. ऑन लाइन प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण का विस्तृत प्राक्कलन अपलोड नहीं किया गया है।
15. ऑन लाइन प्रस्ताव के भाग–2 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के जियो रिफरेन्सड मैप के स्थान पर ले–आउट प्लान अपलोड किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है।

कृपया किसी कार्यदिवस में अपने कार्यालय प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्ताव प्राप्त कराकर, इंगित कमियों के निराकरण के पश्चात् पूर्ण प्रस्ताव इस कार्यालय को 02 प्रतियों में उपलब्ध करायें, ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

30/6/16

(अरविन्द गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक:– 2811 / 11–सी– FP/UP/Others/15651/2015,दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. वन संरक्षक, बस्ती वृत्त, बस्ती।
2. प्रबन्धक, इण्डियन आयल कार्पो0 लि0, मण्डलीय कार्यालय, चन्द्रकान्ता भवन, न्यू बुद्धनगर कालोनी, देवरिया बाईपास, तारामण्डल रोड, गोरखपुर।

30/6/16

(अरविन्द गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

Ok